

प्रेस नोट

थाना रोहनिया पुलिस द्वारा 03 शातिर लुटेरे शैलेन्द्र यादव, सुधांशु राय व अनुज राय गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद बोलेरो(वाहन नम्बर UP 61 S 5554), घटना में प्रयुक्त लोहे का एक अदद रॉड व लूट का 10,000/- रुपया बरामद

दिनांक 15-02-2021 को थाना रोहनिया पुलिस को देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 14-02-2021 को पण्डितपुर हाइवे पर सरिया लदी ट्रेलर के ड्राइवर को मार पीट कर लूट करने वाले तीन व्यक्ति बोलेरो(वाहन नम्बर UP 61 S 5554) में बैठकर मोहनसराय से रोहनिया की तरफ जा रहे हैं, जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर थाना रोहनिया पुलिस द्वारा जगतपुर एसबीआई के पास चेकिंग प्रारंभ कर दी गई। चेकिंग के दौरान मोहनसराय की तरफ से एक बोलेरो(वाहन संख्या UP 61 S 5554) आते हुए दिखाई दी जिसे रोककर चेक किया गया तो उसमें तीन व्यक्ति बैठे मिले। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम शैलेन्द्र यादव, सुधांशु राय व अनुज राय बताया। तलाशी लने पर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद रॉड व लूट का 10,000/- रुपया बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शैलेन्द्र यादव पुत्र श्याम देव यादव निवासी फूलपुर थाना पकड़ी जनपद बलिया।
2. सुधांशु राय पुत्र सुजीत कुमार राय निवासी हाजीपुर थाना करमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर।
3. अनुज राय पुत्र स्व० अलखनारायण राय निवासी हाजीपुर थाना करमुद्दीनपुर गाजीपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु०अ०सं० 87/2021 धारा 394,411 भादवि थाना रोहनिया वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

01. एक अदद बोलेरो (वाहन सं० UP 61 S 55542)
02. घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की रॉड
03. लूट का 10,000/- रुपया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- प्रभारी निरीक्षक प्रवीन कुमार, उ०नि० सत्येन्द्र प्रताप सिंह, उ०नि० घनश्याम गुप्ता, उ०नि० मनोज कोरी, हे०का० सुजीत राय, का० सुरेन्द्र यादव, का० दुर्गेश कुमार पाण्डेय थाना रोहनिया जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी फ़ोन

+ 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 88/2021

दिनांक: फरवरी, 16/2021

प्रेस नोट

उ0प्र0 सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में वाराणसी पुलिस को मिला प्रथम स्थान

उ0प्र0 सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) से प्राप्त शिकायतों को *जनपद वाराणसी पुलिस द्वारा समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने में पूरे प्रदेश में वर्ष 2020 में माह जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, नवम्बर, दिसम्बर में प्रथम स्थान व माह अक्टूबर में आठवाँ स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2021 के माह जनवरी की जारी की गयी रैंकिंग में जनपद वाराणसी को पुनः प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। जनपद वाराणसी पुलिस के जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भों का मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय से मूल्यांकन किये जाने पर उ0प्र0 के सभी 75 जनपदों में जनपद वाराणसी की कार्यवाही 100% रही और रैंक प्रथम रहा।* पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा स्वयं जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण हेतु जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारियों को सदैव निर्देशित किया जाता है और जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) के कार्यों की स्वयं मानिट्रिंग की जाती है। जनसुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को पुलिस कार्यालय में गठित आईजीआरएस सेल द्वारा संबंधित थानों पर ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।

थाना प्रभारी द्वारा प्राप्त सन्दर्भों की जाँच आख्या ऑनलाइन दिये गये समय के अनुसार संबंधित को प्रेषित की जाती है तथा जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) से प्राप्त शिकायतों को आईजीआरएस सेल के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा लगनशील व कर्तव्यनिष्ठ रहकर सम्पादित किया जाता है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन
+ 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 89/2021 दिनांक: फरवरी, 16/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 16. 02.2021 को थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना चौबेपुर में पंजीकृत मु0सं0अ0-/0021 2021 धारा - 363/366/504/506 भा0द0वि0 7/8 व 16/17 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्ता लालती देवी को चौबेपुर टैम्पो स्टैण्ड के पास से समय लगभग 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. लालती देवी पत्नी राजेन्द्र यादव निवासिनी ग्राम चौबेपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 50 वर्ष।

गिरफ्तारी टीम का विवरण: -

उ0नि0 संजय कुमार यादव, मवन्दना वर्मा थाना चौबेपुर वाराणसी 0का0।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन
+ 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 90/2021 दिनांक: फरवरी, 16/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 16.02.2021 को थाना भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-07/18 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम सेठ उर्फ लड्डू पुत्र रमाशंकर निवासी गुजराती गली सोनिया थाना सिगरा वाराणसी को मानिटारिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश सं0 08 जनपद वाराणसी द्वारा 02 वर्ष के सश्रम कारावास व रु0- 5,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन
+ 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 91/2021 दिनांक: फरवरी, 16/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 16.02.2021 को थाना सारनाथ में पंजीकृत मु0अ0सं0-588/18 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त सनी कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी सा0 5/129 रमरेपुर थाना कैण्ट वाराणसी को मानिटारिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश सं0 08 जनपद वाराणसी द्वारा 02 वर्ष के सश्रम कारावास व रु0- 5,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन
+ 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvn-s-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 92/2021 दिनांक: फरवरी, 16/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 16.02.2021 को थाना लोहता में पंजीकृत मु0अ0सं0-98/14 धारा-493,506,376 भा0द0वि0, ¾ पॉक्सो एक्ट व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र बुद्धु राम निवासी पतलुकिया थाना चुनार जनपद मिर्जापुर को मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जनपद वाराणसी द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रु0- 10,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन
+ 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvn-s-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 93/2021 दिनांक: फरवरी, 16/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 16-02-2021 को थाना कोतवाली वाराणसी की कबीर चौरा चौकी पर नियुक्त चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रीतम तिवारी द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार के बच्चों को टिफिन,थर्मस, पेन्सिल बॉक्स, रबर, पेन्सिल, स्केल व पठन-पाठन की अन्य सामग्री वितरित की गयी।उप निरीक्षक प्रीतम तिवारी के इस कार्य की स्थानीय लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन
+ 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 94/2021 दिनांक: फरवरी, 16/2021

प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 119 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 3151 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 461 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 102 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 972 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा 107 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

प्रेस नोट

आज दिनांक 16-02-2021 को थाना कपसेठी पुलिस को देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कृष्णा ढाबा के पास एक आदमी झोले में रखकर अवैध शराब बेच रहा रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर थाना कपसेठी पुलिस द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर राहुल यादव को कपसेठी चौराहा कृष्णा ढाबा के पास से गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 22 शीशी अवैध देशी व 04 पाउच अंग्रेजी शराब बरामद की गयी।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना कपसेठी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 21/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- राहुल यादव पुत्र बहादूर यादव निवासी ग्राम कपसेठी थाना कपसेठी वाराणसी उम्र 19 वर्षी

बरामदगी का विवरण-

- अवैध 22 लीटर देशी शराब व 04 पाउच अंग्रेजी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक राजू दिवाकर, उ0नि0 राजदर्पण तिवारी, उ0नि0 हरिकेश व का0 दिनेश कुमार यादव थाना कपसेठी वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

